इलेक्शन टुडे

दिनांक - 20 अक्टूबर 2018 अंक – 13

विधानसभा आम चुनाव -2018

पेड न्यूज की सजगता के साथ समीक्षा करें

मीडिया मॉनीटरिंग कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न

भोपाल : शनिवार, 20 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल.कान्ता राव के निर्देश पर मीडिया मॉनीटरिंग कक्ष के अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने कहा की पेड न्यूज के संबंध में सजगता के साथ कार्य किया जायें । पेड न्यूज से आशय ऐसे समाचार से है जिसके प्रकाशन के लिये किसी भी प्रकार का भुगतान किया गया हो। किसी पार्टी अथवा अभ्यर्भी के संबंध में एक सा विज्ञापन सभी न्यूज पेपर में प्रकाशित किया गया हो।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया पेड न्यूज विधान सभा चुनाव में गंभीर मुद्दा होगा, इसको पूरी गंभीरता के साथ देखा जायें। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रत्येक चैनल की मॉनीटरिंग में चौकसी रखी

जावे। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिये व्यय सीमा 28 लाख रुपये है, इससे अधिक व्यय होने पर प्रत्याशी अयोग्य घोषित हो जायेगा। चुनाव में निष्पक्षता, समानता और निर्भीकता के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित की गई है। पेड न्यूज घोषित होने पर उसका व्यय प्रत्याशी के खर्च में जुड जायेगा। बैठक में मुख्य नोडल अधिकारी अपर संचालक जनसंपर्क श्री एल.आर.सिसोदिया सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

श्री कोल ने कहा की मीडिया मॉनीटरिंग कक्ष यह देखे की किसी प्रत्याशी के संबंध में बढ़ा-चढाकर विवरण दिया जा रहा हो और यदि चुनाव में कोई ऐसा प्रत्याशी है, जिसका स्वयं का न्यूज पेपर या इलेक्ट्रॉनिक चैनल में लगातार उसके पक्ष में समाचार प्रसारित किये जा रहे हो, तो उसका व्यय आंकलित कर पेड न्यूज की श्रेणी में आयेगा। किसी राजनैतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में प्रशंसा के समाचार लगातार प्रकाशित होना और महिमा मंडित करने संबंधी समाचार भी पेड न्यूज की श्रेणी में आयेगें।

==========

विधानसभा आम चुनाव -2018

ईव्हीएम के लिये जिलों में स्थायी स्ट्रांग रूम समय-सीमा में बनाये: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

लोक निर्माण विभाग के पीआईयु के अधिकारीयों की समीक्षा बैठक संपन्न

भोपाल : शनिवार, 20 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल.कान्ता राव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में ई.व्ही.एम के लिये 65 करोड़ रुपये की लागत से स्ट्राँग रूम बनाये जा रहे है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिलों में इसके लिये जमीन आबंटन कर दिया गया है और कई जिलों में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को सभी जिलों में नोडल ऐजेन्सी बनाया गया है। समीक्षा बैठक में श्री राव ने लोक निमार्ण विभाग के पीआईयु के ईएनसी श्री विजय सिंह वर्मा को निर्देशित किया की प्रदेश के 53 जगहों पर बन रहें स्ट्रांग रूम समय से पूर्व तैयार किये जायें

जिन जिलों में निर्माण पूर्ण होने का समय दिसम्बर 2019 दिया गया है, उन सभी जिलों में मार्च 2019 के पूर्व कार्य पूरा कर लिये जायें। सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, खण्डवा आदि जिलों में ईव्हीएम के लिये स्ट्रांग रूम 15 फरवरी 2019 तक पूर्ण हो जायें, लोकसभा चुनाव में इनका उपयोग किया जायेंगा।

श्री राव ने कहा कि जिलों में सभी अभियंता, संबंधित जिलों में कलेक्टरों के साथ स्ट्रांग रूम के संबंध में समीक्षा कर जिन जिला मुख्यालयों पर जगह की कमी है। वहाँ जी प्लस 3 और जी प्लस 4 तक के स्ट्रांग रूम बनाने के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस संबंध में प्रदेश के सभी स्ट्रांग रूम के चारो तरफ बाँउन्ड्री वाल और सुरक्षा कर्मियों के लिये अलग से कमरा बनाया जायें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमुख अभियंता श्री वर्मा को निर्देशित किया कि ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग का दौरा कर स्ट्रांग रूम के संबंध में चल रही कार्यवाही की समीक्षा रिर्पोट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें। बैठक में लोक निर्माण विभाग की पीआईयु के संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

==========